# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुरारी लाल शर्मा, आर.ए.एस.

**गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :— 19/2022**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।

—बनाम—

राजेश कुमार पुत्र श्री बद्रीप्रसाद ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 07, पहाड़ी मोहल्ला, पुलिस थाना बगड़, जिला झुन्झुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 खण्ड (ख)(V)
राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :—

1.श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ----------सरकार की ओर से।
2.गैर सायल की ओर से ......................................गैर सायल स्वयं उपस्थित।

—निर्णय— दिनांक : 08.09.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 14.06.2022 को गैर सायल राजेश कुमार पुत्र श्री बद्रीप्रसाद ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 07, पहाड़ी मोहल्ला, पुलिस थाना बगड़, जिला झुन्झुनू, के खिलाफ न्यायालय हाजा में दायर किया जो दर्ज किया जाकर गैरसायल की तलबी के नोटिस जारी किये। संक्षेप में इस्तगासा का सार इस प्रकार है कि राजेश कुमार पुत्र श्री बद्रीप्रसाद ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 07, पहाड़ी मोहल्ला, पुलिस थाना बगड़, जिला झुन्झुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृति का आदतन जुआरी है। जिसने अपनी आपराधिक गतिविधियों से करबा झुन्झुनू के लोगों को अपने जुआ के कारोबार में युवा पीढी को धकेल रहा है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर इसकी गतिविधियों की सूचना देने व रिपोर्ट दर्ज कराने से कतराता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार होता है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है तथा इलाका में लोगों के अमन चैन को ठेस पंहुच रही है। इसके खिलाफ अब तक दो अभियोग दर्ज किये गये है।

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

जिनमें से दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है। इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एंव दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. अभियोग संख्या 36/2021 दिनांक 05.02.2021 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना बगड़ झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 17 दिनांक 09.02.2021 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.04.2021 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रूपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया।

2. अभियोग संख्या 54/2021 दिनांक 26.02.2021 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना बगड़ झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 27 दिनांक 27.02.2021 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.04.2021 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रूपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त राजेश कुमार पुत्र श्री बद्रीप्रसाद ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 07, पहाड़ी मोहल्ला, पुलिस थाना बगड़, जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (V) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया जिस पर गैर सायल दिनांक 08.09.2023 को उपस्थित हुआ। जिसे दिनांक 08.09.2023 को ही गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र देकर स्वीकार किया जाने पर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्धान एपीपी–1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना बगड़, झुंझुनू में 2 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा जिनमें दोनों ही प्रकरणों में गैर सायल परीविक्षा से दण्डित

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

हुआ है। इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (V) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले की सर्म्पूण सीमा से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक राजेश कुमार पुत्र श्री बद्रीप्रसाद ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 07, पहाड़ी मोहल्ला, पुलिस थाना बगड़, जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना बगड़, झुंझुनू में दो अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा जिनमें से दोनों प्रकरणों में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है गैर सायल राजेश कुमार पुत्र श्री बद्रीप्रसाद ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 07, पहाड़ी मोहल्ला, पुलिस थाना बगड़, जिला झुन्झुनू राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 2 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नही है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हे दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (ख) (V) मे अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल राजेश कुमार पुत्र श्री बद्रीप्रसाद ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 07, पहाड़ी मोहल्ला, पुलिस थाना बगड़, जिला झुन्झुनू को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः गैरसायल राजेश कुमार पुत्र श्री बद्रीप्रसाद ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 07, पहाड़ी मोहल्ला, पुलिस थाना बगड़, जिला झुन्झुनू को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झनू

की धारा 2(ख) (V) के तहत 15 दिवस की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना राजगढ, जिला चुरू निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नही रहेगा तथा गैर सायल राजेश कुमार पुत्र श्री बद्रीप्रसाद ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नम्बर 07, पहाड़ी मोहल्ला, पुलिस थाना बगड़, जिला झुन्झुनू उक्त 15 दिवस की निष्कासित अवधि मे जहॉ भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना राजगढ जिला चुरू को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना थाना बगड़ झुन्झुनू को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना बगड़ झुंझुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 08.09.2023 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8.9.2023
अति. जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 08.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनू